

## मॉब लचिगि को नयित्तरति करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन

### चर्चा में क्यों?

राजस्थान के अलवर में गो-रक्षकों द्वारा 28 वर्षीय रकबर खान की हत्या कयि जाने के तीन दनि बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना की जाँच करने और नविरक उपायों का प्रस्ताव देने के लयि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

### प्रमुख बदि

- इन स्थितियों से नपिटने के लयि सरकार ने केंद्रीय गृह सचवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कयिा है जो इन मामलों पर वचिार करेगी और अनुशंसाएँ देगी।
- न्याय वभिग, कानूनी मामलों के वभिग, वधायी वभिग तथा सामाजकि न्याय और अधकिारिता वभिग के सचवि इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। समिति चार सप्ताह में अपनी अनुशंसाएँ सरकार के समक्ष पेश करेगी।
- सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह के गठन का भी नरिणय लयिा है जो अनुशंसाओं पर वचिार करेगा।
- मंत्री समूह में नमिनलखिति मंत्रालयों के मंत्री शामिल हैं- वदिश, सड़क परविहन व राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी वकिस एवं गंगा संरक्षण, कानून व न्याय तथा सामाजकि न्याय व अधकिारिता। मंत्री समूह अपनी अनुशंसाएँ प्रधानमंत्री को सौपेगा।
- सरकार देश के कुछ हसिसों में भीड़ द्वारा हसिा कयि जाने की घटनाओं से चतिति है। सरकार ने पहले भी ऐसी घटनाओं की नदिा की है और संसद में अपना रुख स्पष्ट कयिा है कविह कानून का शासन बनाए रखने के लयि प्रतबिद्ध है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लयि प्रभावी कदम उठा रही है।
- संवधान के अनुसार, पुलसि और कानून व्यवस्था राज्य के वषिय हैं। अपराध को नयित्तरति करने, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों के जीवन और संपत्तिकी रक्षा करने के लयि राज्य सरकारें ज़मिेदार हैं। अपराध की रोकथाम करने के लयि कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधकिार राज्य सरकारों के पास है।
- 04 जुलाई, 2018 को बच्चा-चोरी के संदेह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के मामले में भी सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं पर नयित्तरण के लयि सलाह जारी की गई थी। इसके पहले 9 अगस्त, 2016 को गो-रक्षा के नाम पर उपद्रवियों द्वारा गड़बड़ी फैलाने के संदर्भ में भी सरकार ने सलाह जारी करते हुए कठोर कार्रवाई करने को कहा था।
- सरकार ने सलाह जारी करते हुए राज्य सरकारों से आग्रह कयिा है कविे भीड़ की हसिा और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं की रोकथाम के लयि प्रभावी कदम उठाएँ और इन मामलों में कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करें।
- राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कविे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 जुलाई, 2018 को दयि गए दशिा-नरिदेशों को लागू करें।